भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1545

09.02.2026 को उत्तर के लिए

प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन

1545. श्री नवीन जिंदल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्लास्टिक कचरे के उत्पादन के मामले में शीर्ष दस देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वैश्विक स्तर पर देशों के प्लास्टिक कचरे की तुलना में प्रतिवर्ष उत्पन्न, एकत्रित, निपटान किए गए और अनुपचारित/जलाए गए प्लास्टिक कचरे की कुल मात्रा कितनी है;

(ग) इस गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी समस्या के निवारण के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई उपचारात्मक रणनीतियाँ क्या हैं; और

(घ) उपयोग में लाई जा रही सर्वोत्तम वैश्विक प्लास्टिक पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं और प्रथाओं का तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा और परिणाम क्या हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): वैश्विक स्तर पर देशों द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन के अनुमानों और अनियंत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा पर विभिन्न रिपोर्ट प्रकाशित की गई हैं। ये डाटा स्रोतों, प्रणालियों और पूर्वानुमानों के कारण अपने आकलन से भिन्न होते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, वर्ष 2022-23 के लिए देश में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट 4.13 मिलियन टन है। प्लास्टिक पैकिंग पर केंद्रीकृत विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2022 से संसाधित प्लास्टिक पैकिंग अपशिष्ट की मात्रा 191 लाख टन है।

(ग): कूड़े और अव्यवस्थित प्लास्टिक के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए और स्थलीय, जलीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर कूड़े के एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करते हुए, मंत्रालय ने दिनांक 12 अगस्त, 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया, जिसमें दिनांक 1 जुलाई, 2022 से कम उपयोगिता और उच्च कूड़ा संभावित पहचान वाले एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक पैकिंग के लिए ईपीआर पर दिशानिर्देश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022 के माध्यम से

अधिसूचित किया है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध और प्लास्टिक पैकिंग पर ईपीआर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से कचरे और अव्यवस्थित अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी।

(घ): प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार पुनर्चक्रण में अलग-अलग प्लास्टिक अपशिष्ट को एक नए उत्पाद में बदलने या नए उत्पादों के उत्पादन के लिए कच्चा माल बनाने की प्रक्रिया शामिल है। इसके अलावा, प्लास्टिक अपशिष्ट जिसे आगे पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, उसे उपयोग अवधि की समाप्ति के लिए निर्देशित किया जा सकता है जिसमें ऊर्जा पुनः प्राप्ति और सह-प्रसंस्करण (उदाहरण के लिए सीमेंट, स्टील या किसी अन्य ऐसे उद्योग में), तेल के लिए अपशिष्ट, निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण शामिल है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में, जहां प्लास्टिक के उत्पादन में आगे उपयोग के लिए कच्चे माल के रसायनों के उत्पादन के लिए तेल में अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है, इसे पुनर्चक्रण माना जाएगा। प्लास्टिक पैकिंग पर केंद्रीकृत विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्लास्टिक पैकिंग पर ईपीआर दिशानिर्देशों के तहत 3012 प्लास्टिक अपशिष्ट संसाधक पंजीकृत हैं।

*****